संख्या – / XLI-1/17/ 20( प्रशि0)/2017

प्रेषक,

**ओम प्रकाश,**
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–02** देहरादूनःदिनांक 27 अक्टूबर, 2017

**विषय–प्रशिक्षण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 20142/डीटीईयू/0202/ब0रि0/11/2016–17 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017), दिनांक 30 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण विभाग के अनुदान संख्या–16 के अधीन वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू 30150/–हजार (रूपया तीन करोड एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय संग्रह खण्ड/1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. .यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक / अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महोलेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक /अनुदान के अन्तर्गत पुस्ताकिंत करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल

कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।

5. विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
6. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृत योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. मतदेय पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मित्वयता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
10. इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष–2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2230 श्रम तथा रोजगार के अधीन संलग्नक परिशिष्ट क में उल्लिखित संबंधित ब्यौरे वार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नाम डाला जायेगा।
11. जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उनके संबंध में वित्त विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार आगंणन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII–1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में **www.cts.uk.gov.in** से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. सलंग्नक के अर्न्तगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017), दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

**संलग्नक–यथोपरि।**

भवदीय

/

**(ओम प्रकाश)**

अपर मुख्य सचिव

संख्या – 860/ XLI-1/17/–20( प्रशि0)/2017 तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि– निम्नांकित का निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायू मण्डल उत्तराखण्ड।
3. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, 26 ई.सी. रोड़, महिला आई0टी0आई0 परिसर, देहरादून।
4. निदेशक कोषागार , पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एंव सेवायोजन, हल्द्वानी–नैनीताल।
7. वित्त (व्यय नियत्रंक) अनुभाग–5/राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
8. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनुसचिव

शासनादेश संख्या– 860 / XLI-1/17/–20( प्रशि0) / 2017, दिनांक: 27 अक्टूबर, 2017 का परिशिष्ट 'क'

1– अनुदान संख्या–16

| लेखाशीर्षक / मानक मद | | (धनराशि रूपये हजार में) | |
|---|---|---|---|
| 2230 | श्रम तथा रोजगार | लेखानुदान में माध्यम से आवंटित धनराशि को अवमुक्त करने के उपरान्त अवशेष धनराशि। | प्रस्तावित धनराशि |
| 03 | प्रशिक्षण | | |
| 001 | निदेशक तथा प्रशासन | | |
| 01 | प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधी अधिष्ठान | | |
| 1. | 25– लघु निर्माण कार्य | 100 | 100 |
| 2 | 26– मशीनें एवं सज्जा / उपकरणों और संयत्र | 33 | 33 |
| 3 | 29– अनुरक्षण | 25 | 25 |
| | योग | 158 | 158 |

कुल योग –158 / –हजार(एक लाख अठावन हजार मात्र)

2–अनुदान संख्या–16

| लेखाशीर्षक / मानक मद | | (धनराशि रूपये हजार में) | |
|---|---|---|---|
| 2230 | श्रम तथा रोजगार | लेखानुदान में माध्यम से आवंटित धनराशि को अवमुक्त करने के उपरान्त अवशेष धनराशि। | प्रस्तावित धनराशि |
| 03 | प्रशिक्षण | | |
| 003 | दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | | |
| 03 | दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान | | |
| 1. | 25– लघु निर्माण कार्य | 201 | 201 |
| 2 | 26– मशीनें एवं सज्जा / उपकरणों और संयत्र | 6667 | 6667 |
| 3 | 29– अनुरक्षण | 400 | 400 |
| | योग | 7268 | 7268 |

कुल योग –7268 / –हजार(बहात्तर लाख अडसठ हजार मात्र)

उपरोक्त तालिकाओ में अवमुक्त धनराशि की संक्षिप्तिकी:–

(धनराशि हजार रूपये में)

| क्र.स. | लेखाशीर्षक/मद | लघु निमार्ण कार्य | अनुरक्षण | साज–सज्जा /संयत्र | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | अनुदान संख्या–16 | 25 | 26 | 29 | |
| | 2230–03–001–01 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान | 100 | 33 | 25 | 158 |
| | 2230–03–003–03 दास्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान | 201 | 400 | 6667 | 7268 |
| 3 | 2230–03–003–09 नये व्यवसाय/यूनिट खोला जाना | | 4000 | | 4000 |
| 4 | 2230–03–003–07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण | 4000 | 3057 | 11667 | 18724 |
| | | | | योग | 30150 |

कुल योग रू 30150/–हजार (रूपया तीन करोड एक लाख पचास हजार मात्र)

(अनूप कुमार मिश्रा)

अनुसचिव